# राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश।

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षों के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना हेतु 126.90 लाख (एक करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 76.14 लाख (छिहत्तर लाख चौदह हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या DoH/SS/16/2025-73 दिनांक–26.06.2025 के द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1, 2 एवं 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जायेगा।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमूई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं सीवान में किया जायेगा।

**योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश निम्नवत् हैः–**

1. **योजना का उद्देश्यः**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रैगन फ्रूट के बाग का रकबा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आमदनी में वृद्धि करना है।
2. इस योजनान्तर्गत ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार किया जायेगा। प्रथम वर्ष में पौध रोपण कार्य तथा द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य किया जायेगा, जिससे संबंधित वर्षवार विवरणी निम्नवत् हैः–

   I. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तारः**– MIDH (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) की मार्गदर्शिका के अनुसार ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु 2.0 x 2.0 मीटर पोल से पोल की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 5000 पौधा लगाने हेतु इकाई लागत 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये निर्धारित है। उक्त इकाई लागत 6.75 लाख (छः लाख पचहत्तर हजार) रूपये पर 40% अनुदान अर्थात 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 1.62 लाख (एक लाख बासठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की प्रथम किस्त की राशि प्रति हेक्टेयर 5000 पौधों की दर से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन में सही पाए गए पौधों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ता /चयनित किसानों को सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जायेगा इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 47 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 76.14 लाख (छिहत्तर लाख चौदह हजार) रूपये है।

   II. **वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2025–26 में लगाए गए ड्रैगन फ्रूट का 1st Year Maintenance**– वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान की द्वितीय किस्त में अनुदान का शेष 40% अर्थात् 1.08 लाख (एक लाख आठ हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा दिया

जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 47 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 50.76 लाख (पचास लाख छिहत्तर हजार) रूपये है।

3. **आवेदन की प्रक्रियाः–**

I. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

II. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा http://horticulture.bihar.gov.in "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध" ड्रैगन फ्रूट विकास योजना" "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

III. योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन पत्र में उल्लेखित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र में से कोई एक दस्तावेज उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

IV. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **आवेदन की जाँचः–**

इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

5. **लाभुक चयन की प्रक्रिया :–**

I. लाभुक का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

II. स्वीकृत योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

III. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

IV. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।

V. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

6. **अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया**:–

अनुदान की प्रथम किस्त की राशि प्रति हेक्टेयर 5000 पौधों की दर से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन मे सही पाए गए पौधों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ता/चयनित किसानों को सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जायेगा।

द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाए जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

चयनित किसानों द्वारा कार्य निष्पादन के पश्चात प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन प्रतिवेदन तथा लाभुक के साथ Geo Tagged Photograph सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा।

7. ड्रैगन फ्रूट के पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था हेतु एजेंसी का चयन ई–टेंडर के माध्यम से निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा किया जायेगा।

8. **पदेन कर्तव्य एवं दायित्व**:–

I. **प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/ATM/BTM** :–

- स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कर इच्छुक कृषकों से Online आवेदन करवाना।
- प्रत्येक दिन प्राप्त Online आवेदन के साथ Upload किया गया कागजात/वर्णित भूमि का सत्यापन कर, अनुशंसा के साथ कार्यादेश निर्गत करने हेतु सहायक निदेशक उद्यान के Login में निर्धारित समय सीमा (आवेदन की तिथि से 7 कार्यदिवस) के अन्दर भेजना।
- अपने क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं का ससमय शत–प्रतिशत निरीक्षण करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन Geo Tagged Photograph के साथ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

II. **सहायक निदेशक उद्यान** :–

- योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन करना।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी को संबंधित प्रखण्ड हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध कराना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।
- कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान को अवगत कराना। साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

- CFMS 2.0 से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
- दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान का भुगतान ससमय सुनिश्चित करना।
- समय–समय पर कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा उसके आधार पर बेहतरीन कार्य करने वालों को चिन्हित कर प्रतिवेदन तैयार करना।

III. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–**

- योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।
- योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- CFMS 2.0 से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
- समय–समय पर कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन से उद्यान निदेशालय को अवगत कराना।

IV. **नोडल पदाधिकारीः–**

- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति प्रतिवेदन को मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
- योजना का समय–समय पर मुख्यालय के पदाधिकारियों से यथा आवश्यक निरीक्षण करवाना।
- योजनाओं के सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं बेहतर कार्य पद्धति को चिन्हित करना जिसके आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर आगे के लिए जानकारी एवं मार्गदर्शक बनाना।

V. **निदेशक, उद्यानः–** मुख्यालय स्तर पर योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

**निदेशक उद्यान,**
बिहार, पटना।